



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-21092022-238985
CG-CG-E-21092022-238985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4217]
No. 4217]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2022/भाद्र 30, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022/BHADRA 30, 1944

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 13 सितम्बर, 2022

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20च खंड (6) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 4401(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, 2008 के बिल नंबर 19 के माध्यम से संशोधित की धारा 20च के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए मध्यस्थ के रूप में अधिकृत करती है।

क्रम.सं.	सक्षम अधिकारी	विशेष रेल परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत केन्द्री-धमतरी व अभनपुर-राजिम शाखा लाईन आमान परिवर्तन (67.20 कि.मी.)-रायपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण के द्वितीय आधारभूत आशोधन सहित।

[फा. सं. डी.सी. ई./सी/आर/ई.एस.टी.टी./के.डी.आर.आई.-डी.टी.आर./लेंड/आरबिट्रेटर]
आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 13th September, 2022

Notice under Section 20F Clause (6) of the Railway Act, 1989

S.O. 4401(E).—In Exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railway Act, 1989 amended through Bill No. 19 of 2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in Column (2) of the table below to as an Arbitrator to perform the sunctions of such authority under the said Act in respect of Special Railway Project as mentioned in column (3) of the table below in a state of Chhattisgarh with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Sl. No.	Competent Authority	Name of Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	Commissioner, Raipur Division, Raipur	Gauge Conversion of Kendri-Dhamtari and Abhanpur-Razim branch line (67.20 Km)-2nd Material Modification to Raipur-Titlagarh Doubling on SEC Railway.

[F. No. DCE/C/R/ESTT/KDRI-DTR/LAND/Arbitrator]
R. N. SUNKAR, Chief Administrative Officer (Construction)